

14.02.2019

अपीलांट व रेस्पोंडेंट अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जसवंतपुरा का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जसवंतपुरा ने जवाब में कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत अपीलांट का आवेदन पत्र 31.12.2018 को प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में अपीलांट को जरिये पत्रांक/04 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने के कारण आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जसवंतपुरा के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 41 एक 010593 के संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2018 जो कि रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 31.12.2018 को प्राप्त होना अवगत कराया गया है। अपीलांट द्वारा अपने उक्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जसवंतपुरा के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना हेतु जरिये पत्रांक/04 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत दिनांक 25.12.2018 जो कि रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 31.12.2018 को प्राप्त होना अवगत कराया है, के तहत सूचना हेतु वांछित दस्तावेजों के पेटे राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये पत्रांक/04 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा सूचित किया गया होने से सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रार्थना पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत वांछित कार्यवाही अन्दर म्याद की गई है चूकि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वांछित राशि जमा नहीं करवाई है अतः इस अपील का कोई विधिक आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर फैसेल शुमार की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

54-

प्रथम अपीलीय अधिकारी  
(जिला कलेक्टर)  
जालौर

